कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 137 / 2021 निर्णय दिनांक :– 24/6/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. राधा देवी पत्नी गोपीलाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराज़ी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् 2077 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम राजमहल की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली